न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—451/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00088)

01. नाथू पुत्र हरचन्दा, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर **(मृतक दौराने अपील)**

1/1. तीजादेवी पत्नी स्व. नाथू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/2. शान्ति पत्नी जगदीश, जाति बागड़ा बाहाम्ण निवासी मिण्डी नांदरी तहसील रेनवाल जिला जयपुर।

1/3. ग्यारसी पत्नी प्रभू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी मिण्डी नांदरी तहसील रेनवाल जिला जयपुर।

1/4. कमला पत्नी प्रभात जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी सांगोलाई तहसील व जिला जयपुर।

1/5. सोहनी पत्नी कैलाश, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी सिंवार तहसील व जिला जयपुर।

1/6. गिरधारी पुत्र स्व. नाथू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी खोजों की ढाणी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/7. गजानन्द पुत्र स्व. नाथू, जाति बागडा ब्राहाम्ण, निवासी खोजों की ढाणी पूनाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/8. निर्मला पत्नी छोटूराम **(मृतक)**

1/8/1. छोटूराम पुत्र नारायण,

1/8/2. अर्जुन पुत्र छोटूराम,

1/8/3. लालचन्द पुत्र छोटूराम, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/9. नर्बदा पुत्री स्व. नाथू पत्नी सेडूराम, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी सबलपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

01. हणमान पुत्र हरबक्ष,
02. मदन पुत्र बरबक्ष,
03. सीताराम पुत्र हरबक्ष,
04. मु0 बरजी बेवा कल्याण **(मृतक दौराने अपील नाम हजफ)**
05. प्रभूदयाल पुत्र कल्याण **(मृतक दौराने अपील)**

5/1. श्रीमती केसरी देवी पत्नी स्व. श्री प्रभूदयाल,

5/2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,

5/3. मदन लाल पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,

5/4. प्रकाश पुत्र स्व. प्रभूदयाल समस्त जाति ब्रागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

5/5. श्रीमती मंजू पत्नी श्री लक्ष्मण पुत्री प्रभूदयाल जाति बागडा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सांगोलाई पोस्ट मूण्डियारामसर तहसील व जिला जयपुर।

06. गोपाल पुत्र कल्याण,
07. मोहन पुत्र कल्याण,
08. रामकुवार पुत्र कल्याण,
09. रामनारायण पुत्र कल्याण,
10. मु. दाखा बेवा लालचन्द,
11. बनवारी पुत्र लालचन्द,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

12. महेश पुत्र लालचन्द समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. भूरी पुत्री लालचन्द पत्नी जटाशंकर संत, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी मोरिजा तहसील चौमू जिला जयपुर।
14. स्वरूपी देवी पुत्री लालचन्द पत्नी नन्दलाल बूरा, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी बढ़ारना, तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2015 (प्रकरण संख्या 12/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसर नम्बर 133 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 152 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 235/3/4 रकबा 8 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 41 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिन सम्पूर्ण आराजीयात का अपीलन्ट तन्हा काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज चला आया है तथा उक्त आराजीयात के वर्तमान सैटलमेन्ट विभाग ने तरतीम कर नये खसरा नम्बर 199 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 293/1005 रकबा 0.25 हैक्टयर खसरा नम्बर 295/1128 रकबा 0.02 हैक्टयर खसरा नम्बर 295/1006 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 297/1129 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 299/1008 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 29/1130 रकबा 0. 07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.98 हैक्टयर, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 1.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 334/1144 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255/1125 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर खसरा नम्बर 819 रकबा 0.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 818/1224 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.85 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747/1031 रकबा 0.40 हैक्टयर कुल 23 कुल रकबा 10.56 हैक्टयर कायम किये गये तथा दौराने भू प्रबन्ध सम्वत् 2038 से 2041 की जमाबन्दी चालू जमाबन्दी रही जिसमें अपीलान्ट उक्त आराजीयात का तन्हा खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा भू प्रबन्ध विभाग को कानूनन चालू जमाबन्दी की प्रविष्टियों के अनुसार ही नवीन रिकार्ड तैयार करना चाहिये था किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने चालू जमाबन्दी के अनुसार रिकार्ड तैयार न कर उक्त मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के उक्त मद नम्बर 2 में वर्णित नवीन नम्बर कायम कर उनमें से नवीन खसरा नम्बर 329



राजस्व आयुक्त

रकबा 1.98 हैक्टयर खसरा नम्बर 335 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 1.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 334 / 1144 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 / 1125 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 14 के पूर्वाधिकारी कल्याण के नाम से तथा खसरा नम्बर 819 रकबा 0.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 818 / 1224 रकबा 0.1 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.85 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 / 1031 रकबा 0.40 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम से अवैंधानिक व अनुचित रूप से दर्ज रिकार्ड कर दी है जिनको दुरूस्त कराकर अपीलार्थी साबिक के अनुसार तन्हा खातेदारी में अपने नाम दर्ज कराने का व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग को केवल मात्र चालू जमाबन्दी प्रविष्टियों को ही रिपीट करने का अधिकार है, भू प्रबन्ध विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश / डिक्री के बिना किसी भी खातेदार की खातेदारी को अन्य के नाम से दर्ज करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही है और ना ही रकबा कमबेशी करने का कोई अधिकार प्राप्त है जबकि भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 14 के पूर्वाधिकारी कल्याण के नाम दर्ज कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है इसलिये अपीलान्ट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का अधिकारी है। उन्होने आगे कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग ने तथाकथित परिशोधन संख्या 8 दिनांक 07.07. 1983 की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 14 के पूर्वाधिकारी कल्याण के नाम से हाल रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करना बताया है वो खसरा परिशोधन भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान ने अपील संख्या 8 / 1996 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया जो निर्णय राजस्व मण्डल तक बहाल रहा है लेकिन इसके बावजूद भी साबिक अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 15 ने अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में आज तक दुरूस्त नही किया जबकि उक्त खसरा परिशोधन निरस्त होने के बाद अन्य खातेदारान का राजस्व रिकार्ड सबिका अनुसार दुरूस्त भी तहसीलदार द्वारा कर दिया गया है लेकिन अपीलान्ट का दुरूस्त नही किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त सभी तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद के वास्तविक मुद्दों को समझे बिना कतई परवर्स, आरबीट्रेरी, एवं कॉन्ट्रेरी टू लॉ अपीलाधीन आदेश पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10. 2015 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि एक अन्य व्यक्ति गणेश जिसकी खातेदारी उक्त खसरा परिशोधन से ही बदली गई थी, खसरा परिशोधन निरस्त होने के बाद भी साबिकानुसार दुरूस्त न किये जाने के कारण उसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत गणेश बनाम सीताराम के नाम से आवेदन किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर सबिकानुसार दुरूस्ती करने का तहसीलदार को आदेश दिया है जिस आदेश को न्यायालय श्रीमान् ने भी बहाल रखा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

निर्णय में एक स्वरूपता न बनाये रखकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर भयंकर कानूनी गलती है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायायल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2015 निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं वाकियात के मद्दनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2015 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पूर्ण रूप से स्वीकार फरमाया जाकर साबिकानुसार दुरूस्ती का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकर करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 1.98 हैक्टयर, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 1.35 हैक्टयर व खसरा नम्बर 334/1144 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255/1125 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या लगायत 14 के पूर्वाधिकारी (पूर्वज) कल्याण के नाम तथा खसरा नम्बर 819 रकबा 0.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 818/1224 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.81 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.85 हैक्टयर, खसरा नम्बर 747/1031 रकबा 0.40 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम से अवैधानिक व अनुचित रूप से दर्ज रिकार्ड कर दी है जिनको दुरूस्त कराकर अपीलान्ट साबिक के अनुसार तन्हा खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने व रिकार्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी कहते हुए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन अपीलान्ट द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई दुरूस्ती कानूनन भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत उक्त दुरूस्ती किये जाने के प्रावधान नही है क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत केवल वे ही त्रुटिया जिसे पक्षकारान सहमत हो तो ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है इसलिये अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र खारिज योग्य ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई दुरूस्ती के बाबत नियमित वाद समक्ष न्यायालय में विचारधीन है तथा कानूनन नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की ''समरी प्रोसेडिंग्स'' मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य ही था। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष केवल नियमित वाद के द्वारा ही धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिया जा सकता है जिसके बाबत अपीलान्ट का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, अपीलान्ट द्वारा नियमित वाद के विचाराधीन होने के तथ्यों को छिपाते हुये मेलाफाईड आशय से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2015 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन यिका तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार आमेर

**P.T.O.**

के पत्रांक 1843 दिनांक 08.10.2012 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पुनाना की गत जमाबन्दी खाता संख्या 52 सम्वत् 2038–2041 के अनुसार गत खसरा नम्बर 133, 135, 147, 152, 177, 178, 179, 182, 183, 236, 235/3/4 कुल किता 11 कुल रकबा 41 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी नाथू वल्द हरचन्दा जाति बागडा ब्राहाम्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा जबकि भू प्रबन्ध विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश/डिक्री के बिना किसी भी खातेदार की खातेदारी को अन्य के नाम से दर्ज करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही है और ना ही रकबा कमी बेशी करने का अधिकार प्राप्त नही है, इस सम्बन्ध में भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 03.08.1999 द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.1983 को क्षेत्राधिकार विहीन आदेश मानते हुए निरस्त किया गया है एवं अधिवक्ता अपीलान्ट ने भू प्रबन्ध आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 03.08.1999 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक बहाल रखे जाने का कथन किया है जबकि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता के उक्त कथन का विरोध नही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन अन्य प्रकरण संख्या 52/2004 उनवान गणेश बनाम हनुमान, 53/2004 गणेश बनाम नाथू, एवं 54/2004 गणेश बनाम हनुमान के निर्णय दिनांक 24.10.2005 द्वारा द्वारा भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 03.08.1999 के अनुसरण में हाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित मानते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये है जबकि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की परिभाषा में नही मानते हुए खारिज किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.015 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 03.08.1999 के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी की साबिकानुसार दुरूस्ती की जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।